राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 520/2016

कंवल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, पुलिस, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2016
आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.12.2008 से दिया जावे और शेष राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वेतन श्रृंखला 250–360 आदेश दिनांक 19.12.1979 के द्वारा जयपुर ग्रामीण में हुई थी और आदेश दिनांक 25.01.1992 के द्वारा पद रिक्त न होने के कारण जिन कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी की 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 09.06.2006 के द्वारा दिया गया। आदेश दिनांक 30.06.1995 के द्वारा अपीलार्थी को सूक्ष्म दण्ड़ से दण्डित किया गया और आदेश दिनांक 31.12.1995 के द्वारा अपीलार्थी की एक वेतन

वृद्धि को रोक दिया गया। तदुपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2003 के द्वारा दो वेतन वृद्धियां आरोपित होने के कारण रोकी गई। इसके अलावा उसकी सेवा अभिलेख में कोई दण्ड़ नहीं दिया गया। अपीलार्थी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 25.12.1979 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.12.2006 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। उनका यह भी कथन है कि छोटे दण्ड़ो से दण्डित होने पर 4 वेतन वृद्धियों से ज्यादा वेतन वृद्धियां नहीं रोकी जा सकती और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 26.12.2010 को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 11.06.2008 को प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में यह उल्लेखित किया गया कि दो वेतन वृद्धियों का आरोप होने के कारण अपीलार्थी दिनांक 25.12.2008 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस भिजवाकर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.12.2008 से दिया जावे और शेष राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 19.12.1979 को हुई थी और उसे दण्डादेशों का प्रभाव दिया जाकर नियमानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 में उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर दिनांक 01.09.2006 से किए गए वेतन निर्धारण को संशोधित कर दिनांक 25.12.2008 से पुनः विकल्प प्रस्तुत कर संशोधित वेतन निर्धारण की मांग से परिलक्षित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नवीन वेतनमान 2008 में पुनः विकल्प की प्रशासनिक स्वीकृति के संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाया गया, किन्तु वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित सहमति/स्वीकृति नहीं दिए जाने के संबंध में असहमति व्यक्त की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलार्थी को संशोधित वेतन निर्धारण का लाभ उसी दशा में देय था, जब वह पूर्व में किए गए वेतन निर्धारण दिनांक 01.09.2006 तक आहरित आधिक्य की राशि राजकोष में तत्समय ही जमा करवा देता, किंतु अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पैसे की अनुपलब्धता बताते हुए उक्त राशि जमा करवाने में असमर्थ है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 19.12.1979 के द्वारा हुई थी और उसकी 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 तथा 09.06.2006 को दिया गया। आदेश दिनांक 30.06.1995 एवं 28.05.2003 के द्वारा अपीलार्थी को सूक्ष्म दण्ड़ से दण्डित किया गया। उक्त एक आदेश के तहत आरोपित होने के कारण उसकी एक वेतन वृद्धि तथा दूसरे आदेश के द्वारा दो वेतन वृद्धियां रोकी गई। जहां तक अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.12.2006 से नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 30.06.1995 एवं 28.05.2003 के द्वारा अपीलार्थी की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं और पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 में उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर दिनांक 01.09.2006 से किए गए वेतन निर्धारण को संशोधित कर दिनांक 25.12.2008 से पुनः विकल्प प्रस्तुत किये गये। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलार्थी को संशोधित वेतन निर्धारण का लाभ उसी दशा में देय था, जब वह पूर्व में किए गए वेतन निर्धारण दिनांक 01.09.2006 तक आहरित आधिक्य की राशि राजकोष में तत्समय ही जमा करवा देता, किंतु अपीलार्थी के द्वारा पैसे की अनुपलब्धता बताते हुए उक्त राशि जमा नही करवाई गई। इस प्रकार अपीलार्थी की आदेश दिनांक 30.06.1995, 31.12.1995 एक–एक वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं 28.05.2003 के द्वारा दो वेतन वृद्धियां रोकी गई। जिसके कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवापूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.12.2006 नहीं दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य